कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी:- **श्रीमती सुमन देवी II(आर.ए.एस.)**

मु0नं0 04/2022

01. झण्डुराम उम्र 65 वर्ष, पुत्र श्री रामस्वरूप, जाति जांगिड़ निवासी हमीरवास तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
02. महावीर सिंह उम्र 62 वर्ष पुत्र श्री रामस्वरूप, जाति जांगिड़ निवासी हमीरवास तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

– प्रार्थीगण

बनाम

01. राजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप, उम्र 45 वर्ष जाति जाट निवासी हमीरवास तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
02. विनोद पुत्र रामस्वरूप, उम्र 48 वर्ष जाति जाट निवासी हमीरवास तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
03. सरिता देवी उम्र 35 वर्ष, पत्नि समदर सिंह, निवासी हमीरवास तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
04. भतेरी उम्र 75 वर्ष पत्नि रामस्वरूप तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
05. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा किढवाना तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक
06. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक
07. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 (क) उपधारा (1)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
निर्णय

संक्षेप में तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि यह कि ग्राम हमीरवास पटवार हल्का अगवाना तहसील सूरजगढ की सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 158 रकबा 0.61 हैक्टर स्थित है जो कि प्रार्थीगण की पैतृक व संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जो भाई बंटवारा व आपसी सहमति बंटवारा में प्रार्थीगण के हक व हिस्से में आई हुई है जिसमें प्रार्थी संख्या 02 पुख्ता मकान बनाकर आबाद है तथा काबिज व काश्त है।

यह कि भूमि हाल खसरा नम्बर 135 रकबा 3.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 205/135 रकबा 10.77 हैक्टर स्थित है जो कि अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 4 की पैतृक व संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जो कि अप्रार्थीगण भी अपने हक व हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 135 की भूमि में पुख्ता मकान बनाकर आबाद हैं तथा काबीज व काश्त है।

यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 158 रकबा 0.61 हैक्टर मौजा हमीरवास में आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की भूमि वाद पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 205/135 की पश्चिम सीमा पर स्थित किढवाना से वाया काकोड़ा सूरजगढ आम सड़क में से उक्त खसरा की भूमि के अलावा खसरा नम्बर 135 की भूमि के दक्षीणी दिशा के सहारे–सहारे प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

की भूमि खसरा नम्बर 158 की उत्तरी दिशा में जाकर मिलता है। इस रास्ते के अलावा खसरा नम्बर 158 की भूमि में आने जाने हेतु और कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

यह कि खसरा नम्बर 158 की भूमि में काश्त करने के लिए ट्रैक्टर आदि आने जाने तथा स्वयं के द्वारा भी आने जाने के रूप में खाली भूमि होने पर रास्ते के रूप में कदीम से काम में लिया जाता रहा है। फसल जुताई के बाद प्रार्थीगण का रास्ता अवरूद्ध हो जाता है। प्रार्थीगण के खेत में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 205 / 135 की भूमि से गुजरते हुए खसरा नम्बर 135 की थोड़ी सी सीमा पर प्रवेश करते ही रास्ता आम सड़क तक जुड़ जाता है तथा प्रार्थीगण का आवागमन सुलभ हो जाता है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि बाबत सरकार द्वारा निर्धारित राशियां बदले में भूमि या जो भी माननीय न्यायालय निर्धारित करें वह भी देने को तैयार हैं।

यह कि उक्त रास्ते हेतु प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 से कई बार समझाईस भी की एवं रास्ते की भूमि के रूप में जितना क्षेत्रफल काम आ रहा है उसके बदले प्रतिफल भी देने के लिए प्रार्थी ने बात की परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 नहीं माना एवं रास्ता देने से अप्रार्थी नम्बर 01 लगायत 4 ने साफ इंकार कर दिया।

यह कि प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नम्बर 158 में आने जाने के लिए 4 मीटर चौड़ाई के रास्ते की आवश्यकता है जिससे वह स्वयं, कृषि मजदूर एवं कृषि उत्पादन ट्रैक्टर सुगमता से जा सके।

यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को रास्ते के अभाव में अपने खेत में जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है तथा रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रार्थीगण जो कृषि भूमि पर निर्भर है अपनी आजिविका से वंचित रह जायेगा। प्रस्तावित रास्ते की नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित किया जा रहा है, जिसको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक व न्ययोचित है।

यह कि विवादग्रस्त भूमि गांव हमीरवास पटवार हल्का अगवाना खुर्द की सरहद में आई हुई है जिसके बाबत तमाम प्रकार के राजस्व वादों का श्रवणाधिकार व निस्तारण करने के क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 158 मौजा हमीरवास में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 205 / 135 व 135 के दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे आने जाने हेतु 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के अप्रार्थीगण को आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 12.01.2022 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के तलबी हेतु दिनांक 14.02.2022 नियत की गयी। दिनांक 06.10.2022 को वादी की ओर से श्री राजेश एड0 ने वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण 01 लगायत 04 की तरफ से श्री संदीप मान एड0 ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 21.10.2022 नियत की गयी। तहसीलदार सुरजगढ से रिपोर्ट कमांकः– राजस्व / 2022 / 867 दिनांक 20.10.2022 प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण 01 लंगायत 04 ने मौका आपत्ति पेश की जो शामिल पत्रावली की गयी। उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर पुनः मौका रिपोर्ट बाबत तहसीलदार सुरजगढ को तहरीर जारी की गयी। अप्रार्थी संख्या 05 एवं 06, 07 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली आज दिनांक 25.04.2025 को पेश हुई। पत्रावली पेश होने पर आज तहसीलदार सुरजगढ से प्राप्त रिपोर्ट कमांक राजस्व / 2023 / 570 दिनांक 22.08.2023 पर वकील पक्षकारान की बहस की गयी। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कम दुरी का रास्ता लगता है जो कि ग्राम हमीरवास से किढवाना जाने वाले प्रचलित रास्ते की दुरी मुताबिक नजरिये नक्शे में दर्शाए अनुसार 248 मीटर है जो कि मौके पर चालू है। प्रार्थी अधिवक्ता की भी बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि तहसीलदार सुरजगढ से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक राजस्व / 2022 / 867 दिनांक 20.10.2022 के अनुसार प्रस्तावित रास्ता की भूमि खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
सुरजगढ़

205/135 में से 0.05 है0 व खसरा नम्बर 135 में से 0.11 है0 भूमि रास्ते में जायेगी रास्ते की कुल लम्बाई 320 मीटर है। उपरोक्त रास्ते से प्रार्थी के खसरा संख्या 158 के नजदीक कोई दुसरा कटानी रास्ता नही लगता है । उपरोक्त रास्ता सबसे कम दुरी का है। तहसीलदार सुरजगढ से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2023/570 दिनांक 22.08.2023 के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कम दुरी का रास्ता लगता है जो कि ग्राम हमीरवास से किढवाना जाने वाले प्रचलित रास्ते की दुरी मुताबिक नजरिये नक्शे में दर्शाए अनुसार 248 मीटर है जो कि मौके पर चालू है। उक्त दोनो के रिपोर्ट के अवलोकन एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अवलोकन पश्चात तहसीलदार सुरजगढ से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक राजस्व/2022/867 दिनांक 20.10.2022 के अनुसार प्रस्तावित रास्ता की भुमि खसरा नम्बर 205/135 में से 0.05 है0 व खसरा नम्बर 135 में से 0.11 है0 भूमि रास्ते में जायेगी रास्ते की कुल लम्बाई 320 मीटर है का रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

आदेश

प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 158 रकबा 0.61 हैक्टर मौजा हमीरवास में आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की भूमि वाद पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 205/135 की पश्चिम सीमा पर स्थित किढवाना से वाया काकोड़ा सूरजगढ आम सड़क में से उक्त खसरा की भूमि के अलावा खसरा नम्बर 135 की भूमि के दक्षीणी दिशा के सहारे–सहारे प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 158 की उत्तरी दिशा में जाकर मिलता है। इस रास्ते के अलावा खसरा नम्बर 158 की भूमि में आने जाने हेतु और कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार सुरजगढ से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक राजस्व/2022/867 दिनांक 20.10.2022 एवं भू0अ0 नि0 अगवाना खुर्द की रिपोर्ट दिनांक 14.10.2022 के अनुसार प्रस्तावित रास्ता की भुमि खसरा नम्बर 205/135 में से 0.05 है0 व खसरा नम्बर 135 में से 0.11 है0 भूमि रास्ते में जायेगी रास्ते की कुल लम्बाई 320 मीटर है। उपरोक्त रास्ते से प्रार्थी के खसरा संख्या 158 के नजदीक कोई दुसरा कटानी रास्ता नही लगता है । उपरोक्त रास्ता सबसे कम दुरी का है। खसरा नम्बर 205/135 व 135 के दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे आने जाने हेतु 04 मीटर चौडाई का रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम किया जाना न्यायोचित है। तहसीलदार सुरजगढ को निर्देशित किया जाता है कि वह रास्ते में जाने वाली भुमि की निर्धारित डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि आवेदक से जमा कर संबधित खातेदार को उनके हिस्से अनुसार दी जावे। रास्ते के नाप में अगर कोई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करे व रास्ते में आने वाले पेड़ या अन्य किसी प्रकार की बाधा को हटाया जाता है तो उसका हर्जा खर्चा प्रार्थी से वसूल किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार सूरजगढ की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सुरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 25.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़